

07/12/2026

पत्रावली पेसाली वार्षिक परीक्षा 24
वार्षिक परीक्षा की जायज धारा 24
RTI का बंधन है

यह पत्र मान्यता प्राप्त गणपत
22 आजीवन शिक्षण विद्वान् आदि
पुस्तकालय से पत्रावली के आ. म.

पत्रावली जैमल सुमान द्वारा

कम ही
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

[Faint background text and stamps, including dates like 25/12/2026 and 25/12/2025]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2023

1. गलकु देवी पत्नि श्री भंवरलाल उम्र करीबन 80 वर्ष
2. उगमाराम पुत्र श्री भंवरलाल उम्र करीबन 55 वर्ष
3. शिवचन्द पुत्र श्री भंवरलाल उम्र करीबन 52 वर्ष
4. रामलाल पुत्र श्री भंवरलाल उम्र करीबन 40 वर्ष
5. करतार पुत्र श्री भंवरलाल उम्र करीबन 38 वर्ष

सर्व जाति जाट (सारण) सर्व निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जर्घे तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

निर्णय दिनांक 06.01.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद में समय लगना स्वाभाविक है परन्तु प्रार्थी का वादा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग, आवंटनशुदा आराजी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में अविस्थित है जिसन पूर्व खसरा नम्बर 319 रकबा 46 बीघा 2 बिस्वा किस्म बंजर के वर्तमान खसरा की भूमि किशनगढ के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें नम्बर 319 रकबा 1.6585 हैक्टेयर किस्म बंजर भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भंवरलाल पुत्र गणेश को द्वारा दिनांक 27.05.1966 को श्रीमान तहसीलदार पटवारी हल्का व. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच श्री छोटूराम के द्वारा मौका रिपोर्ट महोदय, किशनगढ द्वारा खसरा नम्बर 319 में से 10 बीघा भूमि प्रार्थीगण के प्रस्तुत की गयी है तत्पश्चात दिनांक 27.05.1966 को श्रीमान तहसीलदार पूर्वाधिकारी भंवरलाल पुत्र गणेश को गैरखातेदारी में आवंटन / अलाटमेन्ट की गयी तत्पश्चात् से प्रार्थीगण सतत् रूप से वर्णित आराजीयात में काबिज काश्त व उपयोग-उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी के समय से उपरोक्त आराजीयात में सतत् रूप से काबिज काश्त होने का प्रमाण के लिये सम्वत् 2023 व सम्वत् 2024 की पी-14 खसरा परिवर्तनशील में कब्जा काश्त अंकित है एवं सम्वत् 2031 से 2034 की खसरा गिरदावरी में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भंवरलाल पुत्र गणेश को 10 बीघा भूमि गैरखातेदार के रूप में कॉलम संख्या 32 में अंकन किया गया है जब से सतत् रूप से काबिज काश्त है, चूंकि सम्वत् 2031 से 2034 के समय भू-संशोधन होने के कारण जमाबन्दी तैयार न होकर खसरा गिरदावरी में ही अंकन किया जाता था एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2034 को एक आधार जमाबन्दी एवं रिकार्ड ऑफ राईट्स के अधिकार प्रदत्त किये गये थे। आवंटन होकर गैरखातेदारी इन्द्राज होने के पश्चात् प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2041 अर्थात् वर्किंग जमाबन्दी राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी जिसमें अप्रार्थी द्वारा पूर्व में किये गये आवंटन नियमन एवं गैरखातेदारी अधिकार दिये गये है उनका इन्द्राज वर्किंग जमाबन्दी में करना चाहिए था परन्तु वर्किंग जमाबन्दी मे नाम इन्द्राज नहीं होने से आज दिन तक उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सरकारी खाते में किस्म बंजर रह गया जो प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है जबकी राजस्व रिकार्ड में का अधिकार अप्रार्थी को है अप्रार्थी राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के आधार




उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

एक भू-धारी है जिसको रिकार्ड का संधरण करने का दायित्व अधिकारी होते हुये भी पूर्व इन्द्रा को वर्किंग जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं करने से संहवन से त्रुटि होने से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पक्ष में आवंटन एवं गैरखातेदारी का अंकन नहीं हो सका। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलो में कलक्टर अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि भू-संशोधन के अवशेष के प्रकरण मानते हुये सन् 1999 में आदेश पारित किये कि लगातार काबिज काश्त काश्तकारों को नियमन करने अथवा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दिये जाने बाबत अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा अनुशंषा करनी चाहिये थी। परन्तु तहसीलदार अर्थात् अप्रार्थी द्वारा विधि के तहत कार्यवाही नहीं करने से प्रार्थीगण को अथवा इनके पूर्वाधिकारियों को नियमन अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। इसके लिये अप्रार्थी का उत्तरदायित्व है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के प्रार्थी अनुतोषदायी है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजी में अथाह आर्थिक व शारिरिक परिश्रम करके भूमि को उपजाउ योग्य तैयार किया गया है। जो सुधार कि श्रेणी में आता है। फिर भी व्यक्तियों द्वारा किये गये सुधार का विवरण दिया जाता है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सुधारपंजिका दि जाती है जिसमें सभी सुधार पंजिका में भी उल्लेखित नहीं किया गया है। इस कारण से अप्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लक्षण प्रकट होते है एवं अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी अर्थात् पटवारी हल्का को भी घटना बही पंजिका राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदत्त कि जाती है। जिसमें समस्त काश्तकारों एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित व्यक्तियों कि जानकारी रखी जाती है। परन्तु सरकार द्वारा प्रतिपादित विधियों का निचले स्थर पर सही क्रम में अर्थात् विधिक क्रम में कार्यवाही नहीं करने से लम्बे अर्से से काबिज, सद्भाविक काश्तकार विधिक अनुतोष प्राप्त करने से वंचित रह जाते है जिसका मुख्य कारण अप्रार्थी के विधिक दायित्वो का सही निर्वहन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी एक सद्भाविक कृषक व भूमिहीन व्यक्ति वाद वर्णित आराजी में दिनांक 27.05.1966 से अर्थात् विगत 50-55 वर्षों से काबिज काश्त रहकर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। प्रार्थीगण वर्णित आराजी में काबिज रहने का एवं आवंटन होने का अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान है। प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को उपजाउ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके उपजाउ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है, आवंटन के समय उपरोक्त आराजीयात की किस्म बंजर थी। जो धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में नहीं आती थी। प्रार्थी पिछड़ी जाति का निम्न श्रेणी का व्यक्ति है एवं सतत् रूप से वर्णित आराजी में काबिज काश्त होने से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 (2) प्रावधान किया गया है कि "15 बीघा से अधिक क्षेत्रफल के लिये सामान्य श्रेणी में आने वाले अतिक्रमण से, पडौस में स्थित कृषि भूमि का बाजार मूल्य से प्रसारित किया जायेगा यदि वे अतिक्रमी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति / गरीब रेखा श्रेणी से निचे से सम्बन्धित हो" इस प्रकार प्रार्थी पूर्णत इन नियमों को पालना सतत् रूप से किया जा रहा है एवं पीछड़ी जाति से सम्बन्ध रखता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में प्रत्येक वार्षिक वर्ष की समाप्ती अथवा मध्यान्तर में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व क्रम्प का आयोजन किया जाता है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में तो प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन/अलाटमेन्ट करके गैरखातेदारी में दर्ज था, परन्तु वर्किंग जमाबन्दी के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाया। प्रार्थीगण वर्णित आराजी में विगत 50-55 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहने से प्रार्थी धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकॉर्ड तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए. में में हई विसंगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से प्रार्थी के पक्ष में वाद वर्णित आराजी में खातेदार घोषित कर खातेदारी प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने के प्रार्थी कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी वाद वर्णित आराजी में विगत 50-55 वर्षों से निरन्तर रूप से अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान होने के बावजूद काबिज काश्त है। जिसका प्रमाण पी-14 की प्रमाणित नकल प्रमाण हेतु प्रस्तुत है इस प्रकार प्रार्थी सतत् रूप से काबिज होने से अप्रार्थी का



अखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

जकिय दायित्व था जिससे प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन/अलॉटमेन्ट होकर गेरखातेदारी में दर्ज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप-6 विभाग क्रमांक./प.06 (39) राज.-6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकॉर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि प्रार्थी विगत 50-50 वर्षों से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने का सिद्ध है एवं उपरोक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में आवंटन / अलॉटमेन्ट दिनांक 27.05.1966 को किया गया है इस कारण प्रार्थी के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.-9 (6) राज.-5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभपहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्रोत प्रदान करना है। जबकी प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी सद्भाविक रूप से श्री सरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी में आवंटन के समय से ही विगत 50-55 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है अप्रार्थी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से प्रार्थी को बेदखल, व्यवधान रुकावट उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक प्रार्थी नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत. विरुद्ध अप्रार्थी फरमाई जावे। प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चंकि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में दिनांक 27.05.1966 को आवंटन / अलॉटमेन्ट किया गया है परन्तु अप्रार्थी द्वारा अवैध कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई रूप से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है अप्रार्थी अपने अवैध मन्सर्वे में किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग, आवंटनशुदा आराजी ग्राम चीताखेड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में अविस्थत है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 319 रकबा 46 बीघा 2 बिस्वा किस्म बंजर के वर्तमान 319 रकबा 1.6585 हैक्टयेर किस्म बंजर भूमि में प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करने हेतु एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाई जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2023 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादअधीन भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। वर्तमान में वादअधीन भूमि चारागाह एवं गोचर भूमि है एवं प्रकरण में राजहित प्रभावित होता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण को खारिज किया जावे।


दिनांक 06.01.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का. अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

प्रथम दृष्टया प्रकरण:- वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।
सुविधा का संतुलन:- वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।
अपूरणीय क्षति:- अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।
प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।



आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो


रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)